संख्या:-13/2024/आई-848571/01आ0-23-5002-002-2-2025
(कम्प्यूटर सं0-1885087)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक :13 जनवरी, 2025

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के लेखाशीर्षक में 2059-80-053-06-00-17 (किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व) के अन्तर्गत अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित बजट व्यवस्था रू0 500.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-857बीजीबी/114बीजीबी/निवर्तन/2024-25, दिनांक 01.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के लेखाशीर्षक में लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-17 (किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व) के अन्तर्गत अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित बजट व्यवस्था 0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान सं0-55 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्य के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि का विवरण -					
क्र0 सं0	मद का नाम	कार्य का नाम	मूल बजट प्राविधान	चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित बजट	निवर्तन हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
राजस्व लेखा			(धनराशि रू0 लाख मे)		
1	2059	लोक निर्माण कार्य			
	80	सामान्य			
	053	रखरखाव एवं मरम्मत			
	06	सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत			
	17	किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	330.00	500.00	500.00
योग :-			330.00	500.00	500.00

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका से सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों एवं वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करते हुए केवल स्वीकृत मदों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इसका उपयोग अन्य मदों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

(3) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाये एवं व्यय की स्थिति से प्रत्येक माह शासन को भी अवगत कराया जाये।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 5,00,00,000 (रूपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, - सामान्य एवं विशेष मरम्मत मानक मद 17(किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2025/आई-848571/001-01आ0-23-5002-002-2-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10
8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2/गार्ड बुक।

http://shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://:shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-13/2024/आई-848571/01आ0-23-5002-002-2-2025
(कम्प्यूटर सं0-1885087)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक :13 जनवरी, 2025

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के लेखाशीर्षक में 2059-80-053-06-00-17 (किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व) के अन्तर्गत अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित बजट व्यवस्था रू0 500.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-857बीजीबी/114बीजीबी/निवर्तन/2024-25, दिनांक 01.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के लेखाशीर्षक में लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-17 (किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व) के अन्तर्गत अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित बजट व्यवस्था 0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान सं0-55 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्य के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि का विवरण -					
क्र0 सं0	मद का नाम	कार्य का नाम	मूल बजट प्राविधान	चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित बजट	निवर्तन हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
राजस्व लेखा			(धनराशि रू0 लाख मे)		
1	2059	लोक निर्माण कार्य			
	80	सामान्य			
	053	रखरखाव एवं मरम्मत			
	06	सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत			
	17	किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	330.00	500.00	500.00
योग :-			330.00	500.00	500.00

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका से सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों एवं वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करते हुए केवल स्वीकृत मदों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इसका उपयोग अन्य मदों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

(3) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाये एवं व्यय की स्थिति से प्रत्येक माह शासन को भी अवगत कराया जाये।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 5,00,00,000 (रूपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, - सामान्य एवं विशेष मरम्मत मानक मद 17(किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2025/आई-848571/001-01आ0-23-5002-002-2-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10
8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2/गार्ड बुक।

http://shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://:shasanadesh.up.gov.in